



कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

जिला- लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 03/2011-12

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना



Integrated Action Plan के तहत नगर पंचायत, लातेहार अंतर्गत विभिन्न वार्डों में पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था हेतु Energy Efficient Vapour Light के क्रय करने हेतु मुहुरबन्द निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदादाताओं को सामग्रियों की विशिष्टता के साथ अपना दर सभी कर सहित नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय को आपूर्ति करते हुए देना होगा। निविदा दिनांक-09.08.2011 को 1:00 बजे अपराह्न तक ही नगर पंचायत, कार्यालय लातेहार में जमा करना होगा। प्राप्त निविदा उपायुक्त, लातेहार के द्वारा गठित निविदा निष्पादन समिति की उपस्थिति में दिनांक-09.08.2011 को 3:00 बजे अपराह्न में उपविभागाध्यक्ष, लातेहार के कार्यालय वेश्म में खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे। प्राप्त निविदा का निष्पादन एवं स्वीकृति उपायुक्त, लातेहार के द्वारा गठित निविदा निष्पादन समिति के द्वारा किया जायेगा। कथ किये जाने वाले सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार है-


SL. NO.	Item	Specification	Security Money
01	Energy Efficient Vapour Light	1. BGEST 85 RF CFL FG BC -Retrofit CFL 1x 85 W 2. BJMSDT 03 85 RF CFL FG BC - Retrofit CFL 1x 85 W (With all Fitting & Fixing at Site)	80,000/-

निविदा के अन्य नियम एवं शर्तें-

1. निविदादाता को निविदा के साथ उपरोक्त कथ किये जाने वाले सामग्रियों के लिये सुरक्षित जमा राशि (Security Money) का NSC (आठवां निर्गम), 3 वर्ष अवधि का वार्षिक सावधि जमा पासबुक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के पदनाम से प्रतिज्ञा (एन्सेज्ड) होगा, अनिवार्य रूप से सलमन करना होगा।
2. निविदादाताओं को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्दिष्ट होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र निविदादाता के द्वारा सलमन किया जायेगा।
3. निविदाकार को निविदा के साथ कम्पनी से प्राप्त ISI- 9001 के प्रमाण पत्र की छाया प्रति सलमन करना होगा तथा बाजार में प्रचलित दर या DGS & D दर दोनों अंकित करते हुये निविदा समर्पित करना होगा।
4. ISI मार्क एवं ISO मार्क प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाताओं को इस प्रकार के कार्य का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त कथ किये जाने वाले सामग्रियों हेतु झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत विद्युत विभाग, झारखण्ड सरकार से लाईसेन्स प्राप्त निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. निविदादाता को उपरोक्त मदों में प्राप्त आवंटन के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया जायेगा। उपरोक्त आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
6. निविदादाता को अद्यतन आयकर एक्नॉलेजमेन्ट, पैन कार्ड एवं बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं TIN NO, प्रतिष्ठान का निबंधन एवं बिक्रेता प्रमाण पत्र, वैपर लैम्प की कम्पनी का नाम एवं विस्तृत विवरण, रगिन क्रेडिटलिंग देना होगा एवं निविदा से संबंधित मॉडल के साथ निविदा निष्पादन समिति की बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
7. निविदा में उपरोक्त कथ किये जाने वाले सामग्रियों का दर सभी कर परिवहन व्यय एवं अधिष्ठापन सहित देना होगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार के द्वारा गठित निविदा समिति को सुरक्षित होगा।
9. निविदादाता को आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का सही संचालन एवं संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमाण्डल एवं अधोहरताक्षरी के द्वारा वारंवार वैपर लैम्प के अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के पश्चात अभिभव के पारित हो जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
10. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात एक वर्ष तक इसके रख-रखाव एवं मरम्मति की जबाबदेही होगी एवं इस पर होने वाले व्यय आपूर्तिकर्ता के द्वारा वहन किया जायेगा। सुरक्षित राशि के रूप में जमा की गई 10% राशि की वापसी आपूर्ति किये गये वैपर लैम्प के सही संचालन को उपरान्त एक वर्ष के बाद ही किया जायेगा।

11. निविदादाता को आपूर्ति एवं फीटिंग निर्गत कार्यादेश के 15 दिनों के अन्दर करना होगा अन्यथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. न्यायालय से संबंधित वादों का निष्पादन लातेहार अवस्थित न्यायालयों में ही मान्य होगा।



कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापक 677 दिनांक 26/7/11

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संवाददाता दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर, लातेहार को उपरोक्त निविदा के प्रकाशन हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन 2000.00 (दो हजार) रु० के अंतर्गत करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- डी० आई० ओ०, एन० आई० सी० लातेहार को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


26-7-11
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, लातेहार